

कार्यालय प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक आदर्श राउमावि / मावि

कार्यालय – आदेश

राज्य सरकार वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Date 30-10-2017 एवं संशोधित F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Date 09-12-2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 द्वारा दिनांक 01.01.2017 से परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों का परिवीक्षा की कालावधि में देय नियत पारिश्रमिक में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप इस विद्यालय में कार्यरत निम्न परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों का निम्न प्रकार से पारिश्रमिक आहरित करने एवं नोटिफिकेशन में दिये निर्देशानुसार देय पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत दर से एनपीएस में कटौति करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	प्रथम नियुक्ति तिथि	नाम परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मय पदनाम	पूर्व में देय पारिश्रमिक	दिनांक 01.01.2017 से देय	नकद भुगतान दिनांक

उक्त कार्मिकों को दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक का एरियर तीन किश्तों में उक्त नोटिफिकेशनों में दिये निर्देशानुसार देय होगा।

संस्था प्रधान सील

क्रमांक :-रामावि / बीची / जय / संस्था / 2017-18 /
प्रतिलिपि:-

दिनांक:-

1. कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी फागी जयपुर।
2. सम्बन्धित कार्मिक स्थानीय विद्यालय।
3. व्यक्तिगत पंजिका।
4. रक्षित पत्रावली।

संस्था प्रधान सील

कार्यालय प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक आदर्श राउमावि / मावि

कार्यालय – आदेश

वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Date 30-10-2017 एवं संशोधित F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Date 09-12-2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 द्वारा दिनांक 01.01.2017 से परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों का परीवीक्षा की कालावधि में देय नियत पारिश्रमिक में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप इस विद्यालय में कार्यरत निम्न परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों का निम्न प्रकार से पारिश्रमिक आहरित करने एवं नोटिफिकेशन में दिये निर्देशानुसार देय पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत दर से एनपीएस में कटौति करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	प्रथम नियुक्ति तिथि	नाम परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मय पदनाम	पूर्व में देय पारिश्रमिक	Level in Pay Matrix	दिनांक 01.01.2017 से देय	प्रभावी दिनांक
1						
2						
3						

- उपरोक्त कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशों के आधार पर दिनांक 01-01-2016 से किया जाता है। उक्त आदेश के द्वारा कार्मिकों को दिनांक 01-01-2016 से 31-12-2016 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) तक का कोई भी बकाया वेतन एरियर/फिक्सेशन एरियर देय नहीं होगा।
- उक्त कार्मिकों को दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक का एरियर तीन किशतों में उक्त नाटिफिकेशनों में दिये निर्देशानुसार देय होगा।
- 09 दिवस अवेतनिक अवकाश लेने के कारण परीवीक्षाकाल नियमानुसार आगे बढ़ाया गया।

संस्थाप्रधान सील

क्रमांक :-रामावि/बीची/जय/संस्था/2017-18/
प्रतिलिपि:-

दिनांक:-

- कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी फागी जयपुर।
- सम्बन्धित कार्मिक स्थानीय विद्यालय।
- व्यक्तिगत पंजिका।
- रक्षित पत्रावली।

संस्थाप्रधान सील

कार्यालय प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक आदर्श राउमावि / मावि

कार्यालय – आदेश

राज्य सरकार वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Date 30-10-2017 एवं संशोधित F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Date 09-12-2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 द्वारा दिनांक 01.01.2017 से इस विद्यालय में कार्यरत निम्न कार्मिक को नियमानुसार वेतन आहरित करने एवं नोटिफिकेशन में दिये निर्देशानुसार देय पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत दर से एनपीएस में कटौति करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष का परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नाम परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मय पदनाम	पूर्व में देय	Level in Pa Matrix	दिनांक 01.01.2017 से देय	प्रभावी दिनांक	वि०वि०
1								
2								

- उपरोक्त कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशों के आधार पर दिनांक 01-01-2016 से किया जाता है। उक्त आदेश के द्वारा कार्मिकों को दिनांक 01-01-2016 से 31-12-2016 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) तक का कोई भी बकाया वेतन एरियर/फिक्सेशन एरियर देय नहीं होगा।
- उक्त कार्मिकों को दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक का एरियर तीन किशतों में उक्त नाटिफिकेशनों में दिये निर्देशानुसार देय होगा।

संस्थाप्रधान सील

क्रमांक :-रामावि / बीची / जय / संस्था / 2017-18 /
प्रतिलिपि:-

दिनांक:-

- कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी फागी जयपुर।
- सम्बन्धित कार्मिक स्थानीय विद्यालय।
- व्यक्तिगत पंजिका।
- रक्षित पत्रावली।

संस्था प्रधान सील

कार्यालय प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक आदर्श राउमावि / मावि.....

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार Notification No.F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Date 30-10-2017 & Revised Pay Notification No.15 (1) FD Rules/2017 Jaipur Date 09-12-2017 (Revised Pay, Second Amendment) Rules 2017 की अनुपालना के आधार पर श्रीमान् सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर के द्वारा कार्मिकों के नाम के सन्मुखिकित (कालम सं. 5-6) में उल्लेखित आदेश द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन किए जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार वेतन निर्धारण कर भुगतान आहरण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पद	विकल्प देने का दिनांक	वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन आदेश		वर्तमान 6वें वतनमान के अनुसार बेसिक 01-01-2016			7वें वेतनमान की पे मैट्रिक्स के आधार पर वेतन निर्धारण		वेतन वृद्धि 01-07-2016	वेतन वृद्धि 01-07-2017	आगामी वेतन वृद्धि तिथि	
				क्रमांक	दिनांक	रनिंग पे	ग्रेड पे	योग	Level in Pay Matrix	निर्धारण वेतन				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														

- नोट:- 1. उपरोक्त कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशों के आधार पर दिनांक 01-01-2016 से किया जाता है। उक्त आदेश के द्वारा कार्मिकों को दिनांक 01-01-2016 से 31-12-2016 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित है) तक का कोई भी बकाया वेतन एरियर / फिक्सेशन एरियर देय नहीं होगा।
2. दिनांक 01-07-2017 से 30-09-2017 तक का एरियर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर तीन किस्तों में दिनांक 01-04-2018 को 30%, दिनांक 01-07-2018 को 30%, दिनांक 01-10-2018 को 40%, एरियर राशि देय होगी। 01-01-2004 से पहले नियुक्त कार्मिकों का वेतन फिक्सेशन एरियर GPF में जमा होगा जबकि 01-01-2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को उपरोक्त फिक्सेशन एरियर 3 किस्तों में नकद देय होगा।
3. दिनांक 01-10-2017 से एरियर व भत्ते राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर नकद देय होगा, जो दिनांक 01-01-2017 या उसके बाद प्रदान किया जावेगा।

संस्थाप्रधान सील

क्रमांक:रामावि/बीची/संस्था/2017-18/वेतननिर्धारण/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्री मान् उपकाषाधिकारी महोदय कोष कार्यालय फागी।
2. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती स्थानीय संस्था
3. कार्यालय प्रति